

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० सर्किल कोर्ट रोड म०प्र०



R-481-I/2012

11 श्री रामसुन्दर पिता श्री हीरालाल साहु
12 छोटलाल पिता हीरालाल साहु दोनोनिवासी ग, म व टुवा तहसील
व जिलाभिरौली म०प्र० =====निरामनीकल/अधिकरण

बनाम

11 संतज्ञानेश्वर पिता रामलाल तिवारी
12 सन्तबालेश्वर पितारामलाल तिवारी

दोनो निवासी ग्राम गडहरा तहसील व जिला भिरौली म०प्र०
=====निरामिराकारण

अधिकृत श्री काकणकुमार साहू
द्वारा प्रस्तुत
6/10/2012

निरामनी विरुद्ध आदेश व निर्णय श्रीमान
कलेक्टर महोदय, जिला भिरौली म०प्र० के प्रकरण
क्रमांक- 51/निरामनी/11-12 आदेश दिनांक
26.12.2011

निरामनी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र०भारत संविधान
1959 ई०.

मान्यवर,

निरामनी के तथ्य निम्न है:-

11 परकि आराजी खसरा क्रमांक 294 रकबा 0.023, 336 रकबा 0.14, 337
रकबा 0.13, 345 रकबा 0.19, 495 रकबा 0.30, 496/1 रकबा 0.46, 171/3
रकबा 0.10 ए० 265/2 रकबा 0.15 ए०, 324 रकबा 0.13, 326 रकबा 0.13
336 रकबा 0.14, 337 रकबा 0.13, 345 रकबा 0.19 495/2 रकबा 0.30
496/1 रकबा 0.46 171/3 रकबा 0.10, 265/2 रकबा 0.15 324 रकबा
0.13, 330 रकबा 0.13, 332/0.12, 334 रकबा 0.15 333 336/2 रकबा 0.10
335/0.15, 338 रकबा 0.32, 449/रकबा 0.15 हे 332 रकबा 0.12,

कुल कित 25 स्थित ग्राम गडहरा तहसील जिला भिरौली म०प्र०

2...पर



Signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-481-I/12

जिला-सिंगरौली

श्याम सुन्दर साहू/संत ज्ञानेश्वर

| (1) | (2) | (3) |
|----------|--|-----|
| 23.04.19 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरुण कुमार साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 51/निग0/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">   (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p> | |